

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

कार्यालय सरकार वित्त विभाग के आदेश एफ 10(4) ग्रुप-2/एफडी/76/ दिनांक:- 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.98 एवं एफडी/रूल्स/2010 दिनांक:-25.04.2012 के अंतर्गत निम्नलिखित व्याख्यातों से आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने के उपरांत उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम 600/- (अखरे रुपये छः सौ रुपये मात्र) तक प्रतिमाह की दर से दिव्यांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम व विषय	पदस्थापन स्थान	पत्रांक व दिनांक	इस कार्यालय द्वारा प्राप्ति दिनांक	सर्टिफिकेट का विवरण	सर्टिफिकेट नं एवं दिनांक	दिव्यांगता का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DEEN DAYAL NARANIWAL (व्या. वाणिज्य)	राउमावि, घटियावली -चित्तौड़गढ़	राउमावि/घटि/चि/पेंशन/संस्था/2021/784 दिनांक 05.08.2021	11.08.2021	महाराणा भूपाल राज. चिकित्सालय-उदयपुर	Ceritficate no. 637 date 04-12-2006	ORTHOPAT EDICALLY (LL 70%)

इन्हें आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण पदोन्नती एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का दिव्यांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 18.08.2021

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणी-इति/दिव्यांग वाहन भत्ता/2020-21
प्रतिलिपि:- सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय).....
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. संबंधित प्रधानाचार्य.....
5. संबंधित कार्मिक को सूचित किया जाता है की आपका मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र आपसे संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को प्रेषित कर दिया गया है।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर